# न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व आवेदन सं. 77/2022

**प्रार्थीगण –**

1. नीरज पुत्र नवरतनमल
2. मनीष पुत्र नवरतनमल
3. मंजूदेवी पत्नी नवरतनमल

जातियान ओसवाल निवासीयान बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

***बनाम***

**विप्रार्थीगण –**

1. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा
2. मदनलाल पुत्र चम्पालाल
3. पुष्पादेवी जोजे मदनलाल
4. निर्मल कुमार पुत्र वंशराज
5. भंवरलाल पुत्र मोहनलाल
6. नगर परिषद बालोतरा जरिये

6/1 सभापति नगर परिषद बालोतरा

6/2 आयुक्त नगर परिषद बालोतरा

7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत विचाराधीन वाद संख्या 133/2019 न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करने।**

उपस्थिति :–

1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 से 5 की ओर से उपस्थित।

## निर्णय

दिनांक : 27.09.2022

1. प्रार्थीगण की ओर से यह अपील धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा में विचाराधीन वाद संख्या 133/2019 को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु पेश किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:56:34 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त [illegible] विचाराधीन वाद वर्ष 2019 से सहायक कलक्टर [illegible] में विचाराधीन है तथ[illegible] तक फैसल नहीं हुआ है। प्रार्थीगण के खातेदारी [illegible]जा–काश्त की भूमि स[illegible] मौजा बालोतरा के मूल खसरा नंबर 744, 745 तथा 746 मौजा बालोतरा में आई हुई है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

हस्तगत आवेदन में विचाराधीन वाद के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्त वाद 133/2019 मय संबंधित आवेदन 228/2019 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के न्यायालय से स्थानान्तरण कर अन्य राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरण कर सुनवाई किये जाने का आदेश करने का निवेदन किया है।

3. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा–काश्त की भूमि सरहद मौजा बालोतरा के मूल खसरा नंबर 744, 745 तथा 746 मौजा बालोतरा में आई हुई है। खसरा नंबर 744 के कुछ भाग पर मौके पर अकृषि कार्य धुपाई वगैरह अधिकारियों द्वारा किया जाता रहा है। उक्त भूमि पर कब्जा निरन्तर प्रार्थीगण एवं पूर्वहित अधिकारियों का रहा है। लिहाजा उक्त भूमि पुनः प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज करने का आवेदन 133/2019 न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा विचाराधीन है। उक्त विचाराधीन वाद के साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा की प्राप्ति हेतु भी प्रार्थना–पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा को पेश किया गया जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 14.07.2021 को प्रार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये विप्रार्थीगण के अनुचित दबाव में अपास्त कर दिया गया। इसके विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील संख्या 90/2021 पेश की गई जिसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर स्थगन आदेश दिनांक 02.11.2021 को यथावत बहाल रखा। उक्त आदेश के बावजूद उपखण्ड अधिकारी बालोतरा का रवैया पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता है और न्याय मिलने की संभावना नहीं के बराबर है। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 अपने राजनीतिक दबाव व धन एवं बाहुबल से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा से निजी सम्पर्क की आड़ में उक्त वाद को खारिज करवा देंगे। लिहाजा उक्त वाद को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा गलत व निरर्थक तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। उक्त वाद के संलग्न अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र में एकतरफा स्थगन प्राप्त किया था जिसमें अप्रार्थीगण की ओर से जवाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। प्रार्थी नीरज कुमार [illegible] शिकायती प्रवृति का व्यक्ति है जिसने अप्रार्थीगण को तंग एवं परेशान करने [illegible] शिकायती से एवं अप्रार्थीगण से अवैध रूपयों की वसूली करने हेतु [illegible] प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र पर पारित आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:56:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आदेश दिनांक 04.02.2021 द्वारा खारिज किया गया। उक्त आदेश में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि अपीलांट नीरज वगैरह की इस अनुचित कार्यवाही से न्यायालय का समय जाया किया गया है, अपीलांट नीरज वगैरह येनकेने प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सद्भावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांट के इस अनावश्य आपतिपूर्ण रवैये का कोई अंत नजर नहीं आता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं आलौच्य अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि सहायक कलक्टर बालोतरा के न्यायालय में वाद संख्या 133/2019 विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली वास्ते आदेश उक्त प्रार्थना–पत्र पेशी दिनांक पर नियत की गई है। इस पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के न्यायालय से स्थानान्तरण कर अन्य राजस्व न्यायालय में स्थानान्तरण कर सुनवाई किये जाने का आदेश करने का निवेदन किया है। प्रकरण वर्ष 2019 में दर्ज होकर निस्तारण के अंतिम प्रक्रम में वर्तमान में विचाराधीन है। प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली महज आदेश प्रार्थना–पत्र पर रखे जाने से व्यथित होकर वाद कार्यवाही को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने का यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जबकि उक्त वाद के अवलोकन से पीठासीन अधिकारी किसी भी रूप में किसी पक्ष विशेष के प्रति पक्षधर अथवा दबाव में होना प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा वाद को इस प्रक्रम में अन्यत्र न्यायालय को स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

( लोक बंधु )
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:56:34 IST
Reason: SelfAttested